

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प.22(1)न्याय/2022

दिनांक : 01.11.2022

:: आज्ञा ::


राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.09.2022 एवं 20.10.2022 द्वारा किये गये है तथा उक्त आदेशों द्वारा निर्देशित किया गया था कि वे आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस में पालना कर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। इस आदेश के अनुसार कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आदिनांक तक पालना नहीं की गई है।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.09.2022 एवं 20.10.2022 के संबंध में उनके द्वारा 7 दिवस में की गई पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

  
(अंकित रमन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2022 दिनांक 03.07.2022 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
3. संबंधित अधिकारी/कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2022 दिनांक 03.07.2022 के अनुसार 3 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव